बीआईएस अहमदाबाद ने हिम्मतनगर में ज्वैलर्स के यहां दी दबिश

नकली हॉलमार्क वाले आभूषण बेचने का खुलासा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

अहमदाबाद. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), अहमदाबाद के अधिकारियों की टीम ने रविवार को साबरकांठा जिला मुख्यालय हिम्मतनगर में स्थित श्रद्धा ज्वैलर्स, केएमपी ज्वैलर्स, वी.जे. ज्वैलर्स और सी.एच.ज्वेलर्स के यहां दबिश दी। इस दौरान इन ज्वैलर्स को नकली हॉलमार्किंग के साथ-साथ बिना हॉलमार्किंग (हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन - एचयूआईडी) के आभूषण बेचते हुए पाया गया। टीम ने 241 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं।

बीआईएस अहमदाबाद के निदेशक सुमित सेंगर के तहत नकली या बिना हॉल मार्किंग के सोने के आभूषण बेचना बीआईएस अधिनियम 2016 की धारा 15 का उल्लंघन है। बीआईएस अधिनियम 2016 की धारा 29 के अनुसार इस अपराध के लिए एक वर्ष तक की कैद या एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है।

इसके अलावा, हॉल मार्किंग की प्रमाणिकता को बीआईएस केयर मोबाइल ऐप में एचयूआईडी नंबर फीड करके सत्यापित किया जा सकता है।